IV 34

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यव्रत निगम
प्रभारी मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 642883

215
22/2/16

न्यास घोषणा–पत्र

यह न्यास घोषणा पत्र डॉ0 अभय प्रकाश मिश्र संस्थापक एवं मुख्य ट्रस्टी द्वारा स्थापित किया जाता है। इस न्यास का न्यास मण्डल निम्नलिखित होगा–

क्र0सं0	नाम व उम्र	पिता/पति का नाम व पता	पद
1.	डॉ0 अभय प्रकाश मिश्र (34 वर्ष)	श्री मायाशंकर मिश्र ग्राम–गोपालपुर,पोस्ट–कुड्डा जनपद–जौनपुर	मुख्य ट्रस्टी / प्रबन्धक
2.	श्री मायाशंकर मिश्र (58 वर्ष)	स्व0 पं0 राममूर्ति मिश्र ग्राम–गोपालपुर,पोस्ट–कुड्डा जनपद–जौनपुर	अध्यक्ष
3.	श्रीमती मालती मिश्रा (54 वर्ष)	श्री मायाशंकर मिश्र	उपाध्यक्ष
4.	श्री आलोक प्रकाश मिश्र (27 वर्ष)	श्री मायाशंकर मिश्र	उपप्रबन्धक
5.	श्रीमती संध्या मिश्रा (29 वर्ष)	डॉ0 अभय प्रकाश मिश्र	कोषाध्यक्ष

Abhay Prakash Mishra

3957 ... तिथि 10-2-16

स्टाम्प क्रय ... पता ...

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 FEB
जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सत्यव्रत निगम
प्रभारी मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 642884

डॉ0 अभय प्रकाश मिश्र द्वारा इस न्यास की स्थापना की गयी एवं 5001/— मात्र (पाँच हजार एक मात्र) इस न्यास के फन्ड के रूप में प्रदान किया गया एवं इस न्यास का नाम "राजकुमारी राममूर्ति फाउन्डेशन" रखा गया। इस न्यास के उद्देश्य एवं कार्य निम्न हैं–

1. राजकुमारी राममूर्ति फाउन्डेशन

2. कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष रहेगा तथा इसका मुख्य कार्यालय ग्राम–गोपालपुर, पोस्ट–कुड़डा, तहसील–सदर, जनपद–जौनपुर होगा एवं आवश्यकतानुसार मुख्य ट्रस्टी द्वारा वदला जा सकता है।

3. न्यास के उद्देश्य –

(1) शिक्षा– शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य करना, जिसमें प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, मदरसा, डिग्री कालेज, परास्नातक कालेज, बी0एड0 कालेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालिटेक्निक कालेज, बी0टी0सी0 कालेज (डी0एल0एड0, वी0एल0ई0डी0), नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर, इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज एवं विभिन्न प्रकार के शिक्षण सम्बन्धी संस्थानों, ट्रेनिंग संस्थानों की स्थापना करना एवं सफलतापूर्वक संचालन करना, शिक्षा से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं का संचालन करना एवं उपरोक्त सभी कार्यों के लिए ग्रान्ट, दान, चन्दा, ऋण इत्यादि प्राप्त करना।

Abhay Prakash Mishra

क्र0 3958 स्टाम्प बिक्री की तारीख 12-2-16

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

11 FEB

यास पत्र

5,001.00	120.00	80	200.00	28
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री डा0 अभय प्रकाश मिश्र

पुत्र श्री मायाशंकर मिश्र

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी गोपालपुर पर0 सरेमू तह0 सदर जि0 जौनपुर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/2/2016 समय 1:51PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

Abhay Prakash Mishra

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(श्रीनिवास यादव)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
22/2/2016

विनय कुमार सिंह

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री डा0 अभय प्रकाश मिश्र
पुत्र श्री मायाशंकर मिश्र
पेशा कृषि
निवासी गोपालपुर पर0 सरेमू तह0 सदर जि0 जौनपुर

Abhay Prakash Mishra

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान कामता प्रसाद मिश्र कामताप्रसाद मिश्र

रामसुख मिश्र

पेशा कृषि

निवासी गोपालपुर पर0 सरेमू सदर जि0 जौनपुर

व जगदीश मौर्य जगदीश मौर्य

नन्हकू मौर्य

पेशा कृषि

निवासी गोपालपुर पर0 सरेमू सदर जौनपुर

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(श्रीनिवास यादव)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
22/2/2016

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सत्यव्रत निगम
प्रभारी मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

CZ 642885

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2) केन्द्रीय विद्यालय– सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0, एन0सी0आर0टी0 एवं शिक्षा परिषद से मान्यता लेना एवं विद्यालयों की स्थापना तथा संचालन करना, गाँव–गाँव में संस्था के शाखाओं का निर्माण करना एवं इन्हें प्रधान कार्यालय से जोड़ना। सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पत्र–पत्रिका प्रकाशन के लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करना, बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा, व्यायाम एवं खेलों का आयोजन करना।

(3) स्वास्थ्य– स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त कार्य करना जैसे हास्पिटल व नर्सिंग होम खोलना, स्वास्थ्य कैम्प, स्वास्थ्य सेमिनार, परिवार नियोजन कार्यक्रम अथवा निवारण कार्यक्रम, क्षय रोग कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, विकलांगों से सम्बन्धित कार्यक्रम आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(4) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण से सम्बन्धित कार्यक्रम–

(I) समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।

(II) निर्बल एवं असहाय के उत्थान में सहयोग के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाना तथा संचालन करना।

(III) अकाल, सूखा, बाढ़ तथा साम्प्रदायिक एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों मे सहायता कार्य करना।

(IV) शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।

Abhay Prakashmishra

7959

वरिष्ठ कोषाधिकारी
01 FEB 2015
जौनपुर

न्यासी

Registration No.: 34 Year : 2,016 Book No. : 4

0101 डा0 अभय प्रकाश मिश्र

मायाशंकर मिश्र

गोपालपुर पर0 सरेमू तह0 सदर जि0 जौनपुर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 642886

(V) आम जन को परिश्रम करके धनार्जन के लिए प्रोत्साहित करना तथा न्यास की योजनाओं से अन्य लोगों को जोड़ कर नेटवर्क के आधार पर कार्य करना तथा युवाओं व शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।

(VI) समाज के लोगों के लिए उनके उत्थान से सम्बन्धित समस्त कार्य जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोगी हों, को आयोजित कर सामाजिक जागरूकता पैदा करना।

(VII) जनमानस में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु समय–समय पर सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर विचार गोष्ठी का आयोजन करना।

(VIII) निराश्रित अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, पिछड़े एवं गरीब व अनाथ/असहाय बच्चों के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा कम खर्च में उपलब्ध कराना।

(IX) सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए धार्मिक तथा समाज सुधार के कार्यक्रमों को आयोजित करना तथा इस हेतु कैम्प तथा सेमिनार का आयोजन करना।

(X) युवकों के कल्याण हेतु यथा सम्भव प्रयास करना एवं उनके लिए विविध कार्यक्रमों का संचालन करना तथा अन्य स्तर के छात्र/छात्राओं के अध्ययन एवं आवास की समस्या के निराकरण हेतु छात्रावासों का निर्माण करना तथा विलुप्त हो रही भारतीय परम्पराओं को जागृत करना।

Abhay Prakash Mishra

22-2-06

12.2.16

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 FEB 2016
जौनपुर

गवाह

Registration No.: 34 Year : 2016 Book No. : 4

W1 कामता प्रसाद मिश्र

रामसुख मिश्र

गोपालपुर पर0 सरेमू सदर जि0 जौनपुर

कृषि

W2 जगदीश मौर्य

नन्हकू मौर्य

गोपालपुर पर0 सरेमू सदर जौनपुर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सत्यव्रत निगम
प्रभारी मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 642887

(XI) पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित हर सम्भव प्रयास करना, प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था तथा पशु–पक्षियों एवं जानवरों के ऊपर अत्याचारों को रोकने हेतु प्रयास करना एवं सभी प्रकार के जीव–जन्तुओं (देशी/विदेशी) पशु–पक्षियों तथा पेड़–पौधों के प्रजनन एवं प्रवन्धन संरक्षण हेतु कार्य करना।

(XII) खाद्य प्रसंस्करण एवं फल संरक्षण के कार्यक्रमों को संचालित करना तथा केन्द्र सरकार की कृषि नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करना, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सरी, टिश्यू कल्चर एवं कृषि उत्पादन तथा विपणन क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्य करना।

(XIII) पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण, ऊसर भूमि सुधार, शौचालय, जन–जागरण, सार्वजनिक काम्प्लेक्स, स्वच्छ जन आपूर्ति आदि कार्यक्रमों का प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रचार–प्रसार का कार्य करना।

(XIV) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, पेट्रोलियम वचत, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, मद्य निषेध, महिलाओं को समानता का अधिकार, पंचायती राज एवं भारत सरकार की योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

(XV) लोगों को अल्प ऋण के लिए प्रेरित करना तथा स्वरोजगार के लिए प्रयुक्त ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करना। इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष, नावार्ड, सिडवी आदि से ऋण/अनुदान प्राप्त करना।

Abhay Prakash mishra

Sd
23-2-16

3961 12-2-16

[illegible]

...क कोषागा...

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सत्यव्रत निगम
प्रभारी मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 642888

(XVI) विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, मस्जिद एवं इमामबारगाह, पूजा–पाठ के लिए मन्दिर, धर्मशाला, गौशाला, पुस्तकालय, सभागार, वृद्धाश्रम, वाचनालय की स्थापना करना एंव संचालन करना।

(5) ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न समितियों एवं उप समितियों का निर्माण भी कर सकेगा जिसमें ट्रस्टी/ट्रस्टियों के अतिरिक्त अन्य परिजनों एवं कर्मठ नागरिकों का भी समावेश किया जा सकेगा। इन समितियों/उपसमितियों हेतु नियम/उपनियम ट्रस्ट मंडल द्वारा के बनाये जा सकेगें, जो पूर्णतया बन्धनकारक होगें। समितियों/उपसमितियों को भंग करने अथव पुर्नगठित्त करने का अधिकार ट्रस्ट मंडल को होगा। ट्रस्ट मंडल, समितियों/उपसमितियों के निर्माण में कर्मठ, उत्साही एवं तेजस्वी कार्यकर्ताओं को समुचित स्थान दिया जायेगा। ट्रस्टी भी सदस्य के रूप में हो सकते हैं। नियुक्त कार्यकर्ताओं को ट्रस्ट मंडल कार्यमुक्त कर सकता है।

(6) समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश–केन्द्रीय एवं राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड, कम्पार्ट, एवार्ड, सिडबी, मानव विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, सिफ्सा, नाबार्ड, शिडनी, बैंक आफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, राजीव गाँधी फाउन्डेशन, नवशाह, आवाक्स इण्डिया केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा–डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त कर ग्रामीणों के कल्याणार्थ कार्य करना एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार का संचालन करना।

Abhay Prakash Mishra

22-2-16

7942 12.2.16

[illegible]

(100) [illegible]

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 FEB [illegible]
जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सत्यव्रत निर्मिया
प्रभारी मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 642889

(7) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं, एजेन्सियों, शिक्षा विभाग, खादी ग्रामोद्योग, राष्ट्रीयकृत बैंकों, प्राइवेट बैंकों से आर्थिक सहायता के रूप में ऋण/अनुदान प्राप्त करना, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं कमीशन, लघु कुटीर उद्योग विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों को अपनाने व उनका प्रशिक्षण केन्द्र खुलवा कर उपयोगी जानकारी देना, संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक अथवा दूसरी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकती है। ऋण प्रपत्र एवं अन्य सम्बन्धित कागजात पर हस्ताक्षर का अधिकार मुख्य ट्रस्टी का होगा।

(8) बैठकें :– न्यास मण्डल द्वारा एक वर्ष मे कम से कम एक सामान्य बैठक व आवश्यकतानुसार विशेष बैठक/बैठकें बुलायी जायेंगी। न्यास मण्डल के बैठेकों की अध्यक्षता न्यास के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी जो मुख्य न्यासी होगा।

(9) रिक्त स्थानों की पूति :– किसी न्यासी की मृत्यु की दशा में उसका बड़ा पुत्र ही न्यासी होगा और किसी कारण वश पद रिक्त होने की दशा में न्यासी का चयन बहुमत द्वारा होगा।

(10) कार्यकाल :– न्यास मण्डल का कार्यकाल अनवरत अस्तित्व में रहेगा, अतएव इसका कोई कार्यकाल नहीं हैं। जब तक न्यास का अस्तित्व रहेगा तव तक न्यास मण्डल का अस्तित्व बना रहेगा।

Abhay Prakash mishra

22-2-16

3363 18.2.16

[illegible]

[illegible]

वरिष्ठ क. अधिका[illegible]

11 FEB [illegible]

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 642890

(11) न्यास की सदस्यता समाप्ति :— यदि कोई ट्रस्टी मानसिक रूप से विक्षप्त हो जाए मृत्यु हो जाए ट्रस्ट मण्डल द्वारा हटा या निकाल दिया जाय अथव स्वयं त्याग पत्र दे दे या संस्था को क्षति पहुंचाये या आपराधिक प्रवृत्त का हो तो उसके स्थान पर ट्रस्ट मण्डल नये ईमानदार, कर्मठी ट्रस्ट के प्रति समर्पित व्यक्ति को वहुमत से चयनित करेगा। निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(12) न्यास स्थल में संशोधन :— न्यास स्थल में संशोधन न्यास के बहुमत द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है।

(13) न्यास की प्रकृति :— यह न्यास सार्वजनिक, चैरिटेबुल न्यास है अतएव इस न्यास पत्र के समस्त प्राविधान उसी दृष्टिकोण से पढ़े व समझे जायें।

(14) न्यास का विघटन :— यदि किसी कारणवश न्यास का विघटन किया जाना जरूरी हो जाता है तो इस हेतु न्यास की विशेष बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लाया जायेगा जिसका न्यास मण्डल के तीन चौथाई न्यासियों द्वारा पारित होना अनिवार्य है।

(15) न्यास के मुख्य ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :—

(I) न्यास मण्डल की बैठकों में भाग लेना।

(II) न्यास मण्डल की बैठक में मतदान की स्थिति में वरावर मत की दशा में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(III) न्यास की ओर से समस्त वैधानिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(IV) न्यास के खाता एवं खातों का संचालन करना।

Abhay Prakash mishra

22-2-16

3344 18.2.16

[illegible]

100 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सत्यव्रत निगम
प्रभारी मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 642891

(V) न्यास के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती एवं कानूनी कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी निभाना।

(VI) न्यास के समस्त चल–अचल सम्पत्ति का रख–रखाव एवं नियंत्रण एवं न्यास के हित में क्रय–विक्रय करना।

(VII) न्यास के आय–व्यय से सम्बन्धित लेखा जोखा तैयार करवाना तथा उसे नियमानुसार किसी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट करवाकर उसे न्यास मण्डल की सामान्य बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।

(VIII) बैंकों से ऋण लेने की दशा में बैंक लोन सम्बन्धित अन्य समस्त कागजात पर हस्ताक्षर करना।

(16) <u>न्यास का कोष</u> :– न्यास का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/प्राइवेट बैंक, शिड्यूल, पोस्ट ऑफिस इत्यादि में खाता खोला जा सकता है। जिसका संचालन मुख्य ट्रस्टी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही कर सकता है।

(17) <u>न्यास की सम्पत्ति को बंधक रखने का अधिकार</u> :– न्यास अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थाओ से ऋण प्राप्त करेगा एवं उसके लिए न्यास की सम्पत्ति को बंधक भी रख सकेगा। बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने एवं न्यास की सम्पत्ति को बंधक रखने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा एवं इस सम्बन्ध में समस्त कागजात पर हस्ताक्षकर करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी का ही होगा।

(18) <u>न्यास की निधि</u> :– न्यास हित के तहत प्रपोज फण्ड 5001/– मात्र रखा गया है एवं न्यास को भविष्य में अन्य दान, अनुदान, विधि व्यवहार या अन्य

Abhay Prakash Mishra

22-2-16

[illegible] 12.2.16

(2)

[illegible]

[illegible]

कोषा… 11 FE… जौ…

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सत्यव्रत निगम
प्रभारी मुख्य सेकाईग
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 642892

किसी माध्यम से प्राप्त चल या अचल सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति में सम्मिलित होगी।

(19) <u>न्यास मण्डल में सदस्यों की संख्या</u> :– न्यास मण्डल में कम से कम 1 सदस्य और अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं।

(20) न्यास के हित में चल अचल सम्पत्ति खरीदने तथा बेचने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी का रहेगा व वहीं इस सम्बन्ध में समस्त कागजातों पर हस्ताक्षर करेगा।

गवाह – 1 कामता प्रसाद मिश्र S/o राम सुखा मिश्र सा. गोपालपुर परगना हवेली त. सदर जौनपुर

2 जगदीश मौर्य S/o नन्हकू मौर्य सा० मौ० गोपालपुर परगना हवेली त० सदर जौनपुर

Sd 25

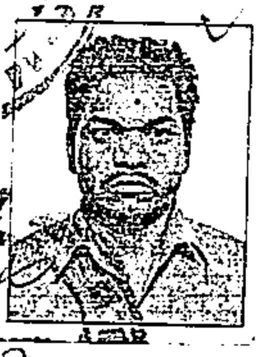

Abhay Prakash mishra

Sd 25

22.2.16

3911 12.2.16

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सत्यव्रत निगम
प्रभारी मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 642893

साक्षी के हस्ताक्षर

1.

मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी के हस्ताक्षर

अभय प्रकाश मिश्र
Abhay prakash mishra

2.

मसविदाकर्ता के हस्ताक्षर

एडवोकेट

टाइपकर्ता– अनुराग मिश्र

22-02-2016
दिनांक :

Abhay prakash mishra

3527

12.2.16

[illegible]

[illegible]

वरिष्ठ कोषा
11 FE
जौन

आज दिनांक **22/02/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **104**

पृष्ठ सं. **93** से **120** पर कमांक **34**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(श्रीनिवास यादव)

उप निबन्धक (सदर)

जौनपुर

22/2/2016